रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 19, 1974/पौष 29, 1895

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 19, 1974/PAUSA 29, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January 1974

G.S.R. 13(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Amendment Rules, 1974.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 9th November, 1973.

2. In the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Rules, 1957, in sub-rule (3) of rule 3,—

(i) for clause (a) the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) the Minister of Supply and Rehabilitation, with effect from 9th November, 1973, a sumptuary allowance of Rs. 250 per mensem."

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) the Minister of Labour and the Minister of Information and Broadcasting, with effect from the 9th November, 1973, a sumptuary allowance of Rs. 250 per mensem;"

(iii) in clause (e) the words "and the Minister of Health and Family Planning" shall be omitted.

Memorandum

Sumptuary allowance given to Ministers, who are not members of the Cabinet, is determined in each case having regard to the requirements of the particular assignment of the Minister. Formulation and consideration of proposals in this behalf take time and the amendment had, therefore, to be given retrospective effect. No one's interest is prejudicially affected by reason of restrospective effect, as is being given in this Notification.

[No. 4/6/73-Pub.I]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मन्त्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1974

सा० का० नि० 13 (अ).—केन्द्रीय सरकार, मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 में अ संशोधन करने के लिए निम्नलिखि नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1974 है ।

(2) ये नियम 9 नवम्बर, 1973 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 में, नियम 3 के उप नियम (3) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् —

"(क) पूर्ति और पुनर्वास मंत्री, 9 नवम्बर, 1973 से 250 रुपये प्रतिमास का समचुअरी भत्ता ।"

(ii) खड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) श्रम मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री, 9 नवम्बर, 1973 से 250 रुपये प्रति माम का समचुअरी भत्ता ; "

(iii) खड (ङ) मे, 'तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री ' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

आपत्

ऐसे मंत्रियों को जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं, दिया जाने वाला समनुग्ररी भत्ता प्रत्येक मामले में उस मंत्री के विशिष्ट समनुदेशन की अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए, अवधारित किया जाता है। इस निमित्त प्रस्तावों को बनाने और उन पर विचार करने में समय लगता है और इसलिए इस संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी किया गया है। इस भूतलक्षी प्रभाव के कारण, जैसा कि इस अधिसूचना में किया गया है, किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

[सं० 4/6/73-पब्लिक-1]

के० आर० प्रभू, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974